मध्य प्रदेश शासन

कार्यालय मुख्य सचिव

मंत्रालय

वल्लभ भवन, भोपाल–462004

क्रमांक/110/मु.स./2011 भोपाल, दिनांक 21 जून, 2011

प्रति,

समस्त संभागायुक्त,
समस्त कलेक्टर,
मध्य प्रदेश।

विषयः– दस्तावेजों के पंजीयन पर अवैधानिक प्रतिबन्ध लगाये जाने बाबत।

पंजीयन अधिनियम, 1908 की धारा 34 (3) अंतर्गत पंजीयन अधिकारी किसी दस्तावेज के पंजीयन के पूर्व केवल इस बारे में जांच कर सकता है कि उक्त दस्तावेज को वास्तव में उन्हीं व्यक्तियों द्वारा निष्पादित किया गया है जिनके नाम का उल्लेख दस्तावेज में है और इस बारे में संतुष्टि के पश्चात् उक्त दस्तावेज को पंजीकृत करने के अलावा उसके पास कोई विकल्प नहीं है।

2/ समय–समय पर कतिपय जिला कलेक्टरों/डिप्टी कलेक्टरों द्वारा विशिष्ट भूमियों के विक्रय संबंधी दस्तावेज के पंजीयन पर रोक लगाई जाती रही है और उच्च न्यायालय में मामला याचिका के माध्यम से उठाये जाने पर न्यायालय के द्वारा इस तरह के प्रतिबंध को अवैधानिक माना गया है। इसके बावजूद अनेक कलेक्टरों द्वारा इस तरह के प्रतिबंधात्मक आदेश अभी भी जारी किये जा रहे है जो पूर्णतः अवैधानिक हैं ।

3/ पूर्व में भी वाणिज्यिक कर विभाग तथा राजस्व विभाग द्वारा सभी कलेक्टरों को पंजीयन प्रक्रिया संबंधी वैधानिक प्रावधान एवं न्यायालय के आदेशों से अवगत कराया गया है परन्तु इसके बावजूद कतिपय अधिकारियों द्वारा दस्तावेजों के पंजीयन पर प्रतिबंध लगाये जाने के अवैधानिक प्रशासनिक आदेश जारी किये जा रहे हैं और इन आदेशों की अवहेलना होने पर उप पंजीयकों के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्यवाही की जा रही है।

4/ इस परिप्रपेक्ष्य में आपसे यह अपेक्षा है कि आप यह सुनिश्चित करें पंजीयन का कार्य पंजीयन अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार ही सम्पादित हो यदि आपके द्वारा अथवा आपके अधीनस्थ किसी अधिकारी द्वारा दस्तावेजों के पंजीयन पर प्रतिबंध लगाये जाने बाबत् कोई प्रशासकीय आदेश जारी किये गये हैं तो उसे तत्काल निरस्त करें।

(अवनि वैश्य)
मुख्य सचिव
मध्य प्रदेश शासन

पृ.क्र 110 / ~~तकनीकी~~ म.प्र / 2011 भोपाल, दिनांक 01 जून, 2011

प्रतिलिपिः—

1. प्रमुख सचिव, वाणिज्यिक कर विभाग ।
2. प्रमुख सचिव, राजस्व विभाग, की ओर सूचनार्थ।

मुख्य सचिव
मध्य प्रदेश शासन